अति-तत्काल
(संसदीय राजभाषा समिति मामला)

सं. रा.भा.5(14)/आश्वासन-अनु.कार्र./2014/ 47.
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग, समाहर्तालय,
दीव.
दिनांक :- 25/06/2014.

परिपत्र / CIRCULAR

विषय :- निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिन्दी में मूल पत्राचार करना.

दीव जिला प्रशासन के सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रभारियों को यह सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग हेतु जारी किए गए वर्ष 2014-2015 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "ख" क्षेत्र से "क" एवं "ख" क्षेत्र को 90%; "ग" क्षेत्र को 55%; तथा "क" व "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों/व्यक्तियों को 100% मूल पत्र हिन्दी में भेजा जाना आवश्यक है। ज्ञात हो कि दीव "ख" क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

न.रा.का.स. एवं रा.का.स., दीव की दिनांक 18/6/2014 को आयोजित संयुक्त बैठक एवं इससे पूर्व आयोजित बैठकों में भी यह निर्णय लिया गया था कि प्रशासन के सभी कार्यालय उक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही हिन्दी में पत्र-व्यवहार करेंगे। संसदीय राजभाषा समिति को भी यह आश्वासन दिया गया था कि प्रशासन द्वारा उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

अतः इस संबंध में आप सभी से पुनः यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने-अपने कार्यालय में हिन्दी पत्राचार हेतु निर्धारित किये गए लक्ष्य के अनुसार ही काम करने का प्रयास करें। यदि इसमें किसी तरह की परेशानी आती हो, तो तत्काल राजभाषा विभाग, दीव की सहायता लें।

25/6/2014

(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (रा.भा.)/
सदस्य सचिव, रा.का.स., दीव.

सेवा में,
सभी कार्यालय प्रमुख,
दीव जिला प्रशासन, दीव.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. माननीय प्रशासक के स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण.
2. सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव, दमण.
3. समाहर्ता एवं जिलाधीश/अध्यक्ष, रा.का.स., दीव.
4. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुम्बई.
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्यालय), राजभाषा विभाग, दमण.
7. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, दीव (वेबसाइट पर प्रकाशित के लिए अनुरोध सहित).